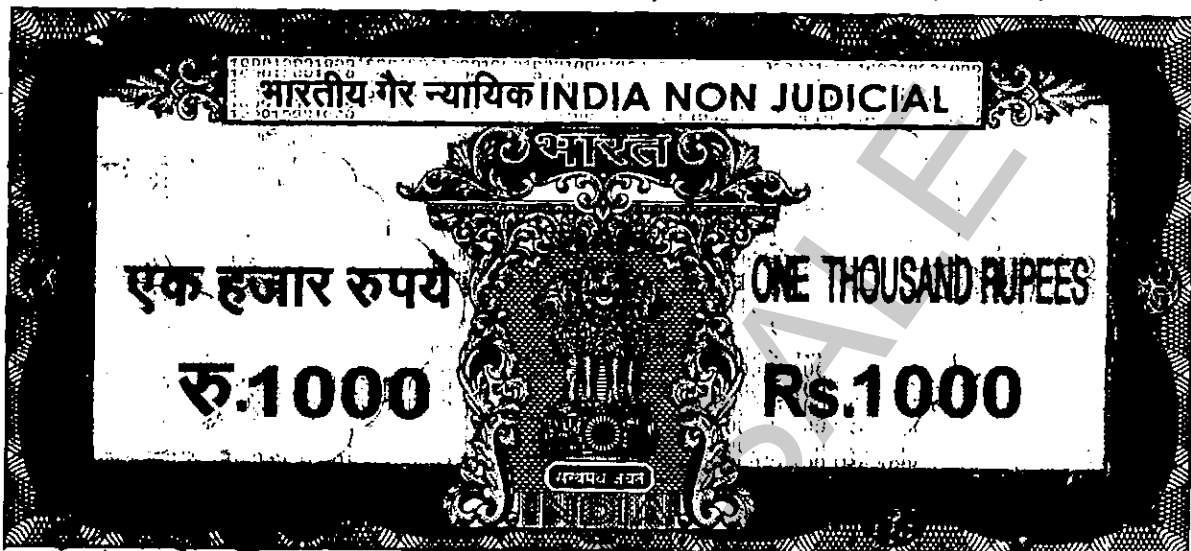


①
Amf

OTHER 2779 RE File no 3 Sub. dated 2779/87 M.P



MADHYA PRADESH

॥ श्री ॥

13/5/87 391967

विक्रयपत्र बाबत कृषि भूमि स्थित ग्राम दतोदा तहसील मह जिला इन्दौर/

ग्राम पंचायत क्षेत्र-दतोदा

ब्लाक-मह

रे.स.नं.-२

पटवारी हल्का नं.-२५

कृण पु.क्र.-एन-591670

कीमत व बाजार मूल्य रुपये १६,४७,४५६/- (अक्षरी रूपये सोलह लाख सेतालीस हजार चार गो छप्पन रूपये मात्र)

1647456

मुद्रांक शुल्क रुपये १३१८००=००

पंचा. मुद्रांक शुल्क रुपये १६४७५=००

उपकर रुपये ६५९०=००

सहमति शुल्क रुपये १०=००

कुल योग १५४८७५=००

श्री हरिराम पिता श्री जेतारामजी राजपुत, उम्र वर्ष,
निवासी ग्राम दतोदा तहसील मह जिला इन्दौर म.प्र. तर्फे
प्रमाणीकृत मुखत्यार मोहम्मद इसेब पिता मोहम्मद शम्मी
निवासी अमितेश नगर इन्दौर म.प्र.

बिक्रीदार (विक्रेता)

एवं

मे.रायल इन्टरनेट सर्विसेस प्रा.लि.तर्फे
श्री हितेन्द्रसिंह पिता श्री विक्रमसिंहजी परमार
पता १, सेन्चूरी इस्टेट, गुलमोहर एक्सटेंशन इन्दौर

अविरत...२

सहमतिकर्ता

For Email Internet

Director



1941-1942

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion
 6. References
 7. Appendix
 8. Glossary
 9. Index
 10. Summary

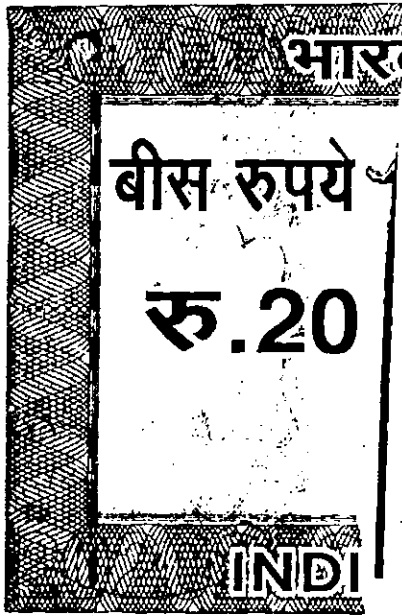
16/15/15/15/15

12 FEB 2007

Gen. G. S. - 2001

Count
- 2041





5125 - 2774
रसीद दस्तावेज नं. 50

दफ्तर	मुकाम	किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्र के ओहदेद के छोटे दस्तावेज
1	2	3	4		
			116 इतिहास 1645 450	13453	31/3/15
तारीख	20/12/15	पंजीयक			

टी.सी. डेवल्प्स प्रा. लि., रजिस्टर्ड ऑफिस फ्लेट नं. 89C, फस्ट फ्लोर
जी. एच. 9, पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063 तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरी
श्री हरजीन्दरसिंह भंगु पिता स्व. श्री बलदेवसिंह भंगु, उम्र वर्ष
निवासी फ्लेट नं. 203, शिवम पैलेस प्लाट नं. 26, शिवमपुरी इन्दौर
(PAN No.-AAACP 4032A)

For Royan International Pvt. Ltd.
Director.

7.

Signature

खरीददार (क्रेता)

उपरोक्त बिक्रीदार पक्ष यह विक्रयपत्र बाबत कृषि भूमि स्थित ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर का उपरोक्त खरीददार तृतीय पक्ष के हित में निष्पादित इस प्रकार कर देते हैं कि :-

विक्रेता की मालकी व कब्जे आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 2295/1 रकबा 1-225 हेक्टर (3-02 एकड़) लगान 2-66 ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर का यह विक्रय है। बिक्रीदार पक्ष के अलावा इस भूमि सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत आदि नहीं है। इस भूमि सम्पत्ति के मालकी आदि किसी संबंध में कोई दावा झगडा प्रकरण किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अथवा किसी भी ज्यूडिशियल न्यायालय में लंबित या विचाराधीन नहीं है, अथवा सबज्यूडिस नहीं है। इस विक्रय पत्र को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कराने के लिए विक्रेता ने एक प्रमाणिकृत मुख्त्यार नामा मोहम्मद इसेब के हित में उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर में पु.क्र. 8-अ/9963 देकर दि: 29/2/06 को निष्पादित किया है।

सदर विक्रयांतर्गत भूमि सम्पत्ति रेवेन्यू रिकार्ड्स में विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। सदर भूमि पर विक्रेतापक्ष स्वयं के साधनों से कृषि कार्य करते आये हैं व सतत अबादित रूप से सदर विक्रयांतर्गत भूमि पर कब्जे आधिपत्य में रहें हैं। कब्जे आदि किसी भी संबंध में कोई अधिकार दोष या अधिकारों में न्यूनता, दखल नहीं है। सदर भूमि में कोई देव स्थान या पीर स्थान भी नहीं है। इस विक्रय विलेख के विपरीत कोई सौदा कराया विलेख पहले से अन्य किसी के हित में किया हुआ भी नहीं है।

फिलहाल यह विक्रयांतर्गत भूमि हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, आड, मेन्टेनेंस डिंड्री, आसेध, धर्मादा, देव स्थान के चार्ज, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सोसायटियों के ऋण, भार, चार्ज आदि से शुद्ध व मुक्त, पवित्र स्थिति में है यदि भविष्य में किसी बैंक, वित्तीय संस्था आदि का कोई भार, ऋण चार्ज आदि पाया गया तो उसकी समस्त जवाबदारी बिक्रीदार पक्ष की रहेगी। इस प्रकार बिक्रीदार पक्ष को यह विक्रयांतर्गत भूमि उपरोक्त खरीददार पक्ष को विक्रय हस्तांतरण करने का पूर्ण व स्वतंत्र अधिकार है।

अविरत....3



14/12/06

78

1318W - W

475

590

1 10

154875

प्रकाश जाली

सम्पद देवदर

विशेष कार्यकर्म, आ

हा सबूत पत्रा को हम, श्री
गुणगुण गुणगुण

23 FEB 2007

1000

1000

1000

1000

1000





01AA 187244

सदर विक्रयान्तर्गत कृषि भूमि को विक्रेता से सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से नीचे लिखी कीमत पर बतौर कम्पनी के एजेंट की हैसियत से कब्जा रहित विक्रय अनुबंधलेख सम्पादित करा लिया था। आज दिनांक को यह विक्रय पत्र कम्पनी के हित में सहमति कर्ता के निर्देश पर किया जा रहा है। इस विक्रय में सहमति कर्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त अनुबंध सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से किया होकर निजी हैसियत से नहीं किया था। इसलिए विक्रीदार एवं खरीददार पक्ष को अधिक विश्वास दिलाने के लिए अलग से कोई रूपया नहीं लेते हुए स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र पर बतौर सहमति कर्ता नाते अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।

विक्रयान्तर्गत कृषि भूमि की कीमत के चुकते रुपये १६,४७,४५६/- अक्षरी सौलह लाख सेतारस हज़ार चार सौ छप्पन रुपये मात्र विक्रेता पक्ष को सहमति कर्ता ने, जो कि क्रेता कम्पनी के एजेंट की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, निम्नानुसार अदा कर दिये हैं। इस प्रकार कीमत की चुकती धन राशि के रुपये क्रेता पक्ष से मिलना विक्रीदार पक्ष स्वीकार करते हैं। अब इस विक्रय पत्र के पंजीयन के समय श्रीमान उ.प. पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष नहीं रहा है एवं इस विलेख के पंजीयन के पश्चात भी कीमत पेटे व इस सम्पत्ति के पेटे कुछ भी लेना बाकी नहीं रहेगा। मूल्य राशि प्राप्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष की पूर्ण संतुष्टि हो गई है। भूमि की किस्म के अनुसार उपरोक्त कीमत पर्याप्त है। उपरोक्त कीमत की सम्पूर्ण धनराशि सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी टी.सी. डेवलपर्स प्रा. लि. के बैंक दिल्ली से जारी विभिन्न आर.टी.जी.एस. द्वारा प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता को दे दिये हैं। विक्रेता पक्ष ने सहमति कर्ता, क्रेतापक्ष से कीमत पेटे चुकते रुपये निम्नानुसार प्राप्त किए हैं :-

रुपये ६,८८,४७२/- नगदी प्राप्त।

रुपये ३६,२८८/- द्वारा चेक नं. १००८२८ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त।

रुपये ९,२२,६९६/- द्वारा चेक नं. १००८२९ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त।

अचिरत....

For Buyer Information Only

Director

I. C.

Subordinate Secretary





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH : 05AA 080132

मालिकाना कब्जा सदर बेची गई भूमि सम्पत्ति का मौके पर प्रत्यक्ष रूप से, सर्वविदित रूप से मूर्तिमान रिक्त आधिपत्य (एक्चुवल पजेशन) खरीदार पक्ष को बिक्रीदार पक्ष ने सहमति कर्ता के साथ मौके पर जाकर सुर्द कर दिया है। भूमि का कब्जा मिलना खरीददार पक्ष को स्वीकार है। अब खरीददार अपने वंश परंपरा तक मोल ली हुई संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार लेवे। इसे धारण करें, इसमें प्रवेश करें इसकी उत्पन्न आय लाभ आदि लेवे। चाहे जब, चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार से इसका हस्तांतरण आदि करें। यह सब अधिकार खरीददार पक्ष को इस विक्रय विलेख के अंतर्गत प्राप्त हो गये हैं।

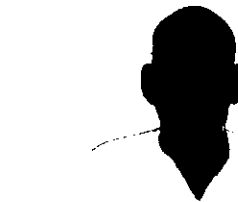
अतः इंदियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बगैर किसी दबाव या रूचि दिलाने आदि के नीचे लिखी सर्वे नं. व क्षेत्रफल वाली ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर स्थित कृषि भूमि अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकारों, इजमेंट राईट्स, प्रिविलेजस के सहित, किसी वस्तु या स्वत्व शेष रखे बिना सबके सहित, बिक्रीदार पक्ष ने विक्रय की गई व बेची गई भूमि सम्पत्ति पर खरीददार पक्ष को अपनी तरह पूर्ण रूप से मालिक, अधिपति, भूमि स्वामी बना दिया व अपना हर प्रकार का स्वत्वाधिकार बेची गई भूमि सम्पत्ति पर से उठा लिया है, समाप्त कर लिया है। वे सभी स्वत्वाधिकार इस विक्रय विलेख के अन्तर्गत उपरोक्त खरीददार पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।

अब यदि बिक्रीदार पक्ष का कोई साजी या शरीक वारिस आदि अग्रसर होकर किसी भी किरम व कोई दावा सदर बेची गई भूमि सम्पत्ति के प्रति करे या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार को अदा करना पड़े तो बिक्रीदार पक्ष उसके उत्तर दाता हैं।

सदर सम्पत्ति के संबंध में विक्रेता पक्ष ने कोई मुखत्यार नामा आम या खास किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर किया हुआ नहीं है। यदि ऐसा कोई मुखत्यार नामा किसी अन्य के नाम पर पाया जाता है तो वह प्रभाव शून्य मान्य होगा। इस विक्रय के पश्चात विक्रेता पक्ष द्वारा पूर्व में किये गए समस्त अनुबंध लेख रयतः ही निरस्त, प्रभाव शून्य हो जावेगे।

अविरत....4





20.02.07



23 FEB

REGISTRAR
1988 District
198.92
सहायक वेक्टर
नवमीड कार्यालय बर



REGISTRAR
1988 District
198.92
सहायक वेक्टर
नवमीड कार्यालय बर

23 FEB 2007



REGISTRAR
1988 District
198.92
सहायक वेक्टर
नवमीड कार्यालय बर

23 FEB 2007





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH : ५: 05AA-080133

बेची गई भूमि या इसका कोई भाग खरीददार के कब्जे और अधिकार से निकल जावे या इस प्रकार के किराएा दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार पक्ष को अदा करना पड़े तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय का चुकता रूपया, अवसर होने पर अनुपातिक द्रव्य, लगा हुआ रूपया, व्यय व हानि जो उठानी पड़े वह सब बेची गई सम्पत्ति से, विक्रेतापक्ष से स्वतः से व उनके वारिसान आदि से व उनकी भौजूदा व भविष्य में होने वाली जंगम व स्थावर सम्पत्तियों से जिस प्रकार भी हो सके तमूल कर लें। विक्रेता पक्ष को कोई आपत्ति, एतराज नहीं होगा।

बेची गई कृषि भूमि सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

सर्वे नं.	रकबा हेक्टर मे	लगान
२२९५/१	१-२२५	२=६६ असिंचित

(सर्वे नं-दो हजार दो सो पिच्चाभवे बटा एक) (रकबा-एक दशमलव दो सो पच्चीस हेक्टर)
(लगान-दो रूपये छ्छट पैसे मात्र)

उपरोक्त बेची गई कृषि भूमि ग्राम दतोदा तहसील महु जिला इंदौर में स्थित है। विक्रय की गई भूमि में कोई मकान, कुआ या वृक्ष आदि नहीं है। विक्रती भूमि असिंचित है।





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :६:

05AA 08C134

यह भूमि शासकीय पट्टे, भू-दान की नहीं है। ऐनीमीकट्टी के सिटीजन की नहीं है। भूमि का लेण्ड यूस कृषि उपयोग का है, परिवर्तित भूमि नहीं है।

नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की बाधा नहीं है। स्थानीय क्षेत्र, निवेश व विशेष क्षेत्र, स्कीम प्लान एरिया की नहीं है। किसी अधिग्रहण में भी नहीं है। मिलिट्री द्वारा एक्वायर की हुई नहीं है। सन १९५८-५९ व पश्चात किसी भी कालावधि में बिक्रीत भूमि किसी आदिवासी या जन-जाति के सदस्य के नाम पर नहीं रही है।

इस विक्रय को किसी पूर्वानुमति, पूर्व अनुज्ञा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह विक्रय वैध रूप से है। अब खरीददार पक्ष को अधिकार होगा कि वे उनके खर्चों से उपरोक्त मोल ली भूमि को अपने नाम पर नामांतरण करवा लेवें, बटे नम्बर करवा ले। इन कार्यवाहियों में विक्रेतापक्ष औपचारिक रूप से सहयोग हेतु सदा तत्पर, तैयार व बाध्य रहेंगे।

इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टिकरण की आवश्यकता होने पर खरीददार को या जिसे भी आवश्यकता हो खरीददार के व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डीड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अथन्टीवेशन, सत्यापन आदि कराने को सदा तत्पर तैयार व बाध्य रहेंगे।

अविरत...७

For Director

Director

For Director

For Director





मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश (विजित) एवं खरीददार पक्ष (क्रेता) में एतद् द्वा 0000 व 48059

उत्तराधिकारी, दाय्याधिकारी, स्वत्वगृहिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुदेष्टित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण, कानूनी एवं वैद्य प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बन्धन कारक रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेगे। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण खर्च क्रेतापक्ष (खरीददार) ने वहन किया है।

अतः यह विक्रयपत्र आज महु में लिखा गया है। उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार लिखवाया है, मजमून पढकर, पढवाकर, सुनकर, समझकर बिक्रीदार ने स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में गवाहों के समक्ष बगैर किसी दबाव के अपनी सहीयों की है, ताकि प्रमाण रहे। वक्त जरूरत काम आवे। गवाहों ने निष्पादन के समय इस लेख पर निष्पादक के समक्ष निष्पादन की गवाह की है। विलेख में कोई कांट छोट नहीं है।

दिनांक: 23-2-2006 महु

गवाह: 1: कैलश गोयल

सहभागी बिक्रीदार पक्ष (विक्रेता)

सही-बिक्रीदार पक्ष
(विक्रेता)

सही-सहभागी बिक्रीदार पक्ष

गवाह: 2: कैलश गोयल

सहभागी बिक्रीदार पक्ष (विक्रेता)

For Royal Interiors Solutions Pvt. Ltd.

सही-खरीददार पक्ष
(क्रेता)

मेरे द्वारा प्रारूपित एवं मेरे कार्यालय में टंकित

पं. श्रीकान्त मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट,

1426, पत्नी बाजार महु - फोन नम्बर-262602

26/1, मोती तबेला (रजिस्टार आफिस के पास) इन्दौर फोन नं. 2366396



10/2/2017

4

पं. वी. ए. शर्मा
उपाध्यक्ष
समाजवादी कार्यकर्ता मंच

पिछले 21 को र
कमल 2. 10/2/17
31/3/17
2568
06/07
2779
10/2/17



18327-3
23
160/52
13452-3
18327
10/2/17



!! श्रीमान तहसीलदार महोदय, इन्दौर जिला-इन्दौर (म.प्र.) !!

आवेदन-पत्र :- नामान्तरण बाबद अन्तर्गत धारा 109-110 म. प्र. भू. रा. संहिता

प्रार्थी क्रेता

विरुद्ध

विक्रेता

सदर प्रकरण में प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

1. यह कि, मैंने ग्राम डोरा तहसील डोरा
जिला इंदौर में खसरा नं. रकबा लगान लगान

मे भूमि रजिस्ट्री नॉट नंबर 1 अ दिनांक
में खरीद किया होकर विक्रेता का
सहमति पत्र संलग्न है। रजिस्ट्री की फोटो कॉपी निवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निवेदन है कि सदर भूमि पर विक्रेता का नाम कम किया जाकर मुझ प्रार्थी का
नामान्तरण किया जाना हेतु आदेश होवे।

फ. मा.

प्रार्थी

- 1- सहमति पत्र
- 2- रजिस्ट्री की प्रति



श्रीमान

महोदय ,

जिला - इन्दौर (म.प्र.) !!

सहमति-पत्र नामान्तरण बाबद ::

प्रार्थी का नाम

दिक्कता

सदर प्रकरण में दिक्कता तर्फे प्रार्थना है कि

1. मैं मालिकी व स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम

कसार

खण्डा

तयान

की रजिस्ट्री द्वारा मैंने क्रेता को बिक्री पर मीके पर मुक्तिमन्द करजा सीप दिया
है। प्रतिकूल की संपूर्ण राशि मेरे का प्राप्त हो चुकी होकर इस बिक्री पेटे मेरा क्रेता
से कुछ भी लेना देना शेष नहीं है।

अतः क्रेता के उक्त आवेदन को मान्य कर तथा मेरी सहमति मान्य किया
जाकर क्रेता का नामान्तरण किया जाने बाबद आदेश होवे।

क्रेता

दिक्कता



: श्रीमान तहसीलदार महादेय, जिला जिला-दन्तौर म.प्र. :

: इस्तिहार :

: नामान्तरण हेतु धारा 109-110 के अंतर्गत :

इस इस्तिहार के द्वारा आम व. खास तौर पर सूचित किया जाता है कि धारा 109-110 म.प्र.भू.रा. की धारा 1959 तथा उससे संबंधित प्रावधान के अंतर्गत पटवारी कागजात में नामान्तरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, यदि प्रमाणिकरण में किसी को कोई आपत्ति हो तो राजस्व प्रकरण में नियम दिनांकको या इसके पूर्व लिखित रूप में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

: भूमि का विवरण :

ग्राम सर्वे नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
-------------------	------	------	-------

- 1- एक प्रति के चोपल पर चरपा हो।
- 2- एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हो।

तहसीलदार



श्रीमान तहसीलदार महादेय, जिला जिला-इन्दौर म.प्र.
इस्तिहार

नामान्तरण हेतु धारा 109-110 के अंतर्गत

इस इस्तिहार के द्वारा आम जन ख्यास तौर पर सूचित किया जाता है कि धारा 109-110 म.प्र.भू.स. की धारा 1959 तथा उससे संबंधित प्रावधान के अंतर्गत मतदाता को नामान्तरण हेतु कानूनन पत्र प्रस्तुत करना है, यदि प्रमाणिकरण में किसी को कोई आपत्ति हो तो राजस्व प्रकरण में नियम विनायक को या इससे पूर्व लिखित रूप में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

: भूमि का विवरण :

सर्वे संख्या	रकबा	समान	विवरण
--------------	------	------	-------

1. एक प्रति के दफ्तर पर चरपा हो।
2. एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हो।

तहसीलदार



सूचना-पत्र

1.
2.
3.
4.

पट. ह. नं. ने सूचित किया है कि ग्राम
की भूमि नं. रकबा की भूमि पर आय
हितग्राही प्रतीत होते हैं। नामान्तरण नियम 27 के अंतर्गत आपको इस सूचना
द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आपको आपत्ति हो तो पेशी ता.....
को 11:00 बजे कैम्प में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा
कि आपको कोई आपत्ति नहीं है व एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर व दिनांक

सूचना-पत्र

1.
2.
3.
4.

पट ह.नं. ने सूचित किया है कि ग्राम
की भूमि नं. रकबा की भूमि पर आय
हितग्राही प्रतीत होते हैं। नामान्तरण नियम 27 के अंतर्गत आपको इस सूचना
द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आपको आपत्ति हो तो पेशी ता.....
को 11:00 बजे कैम्प में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा
कि आपको कोई आपत्ति नहीं है व एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर व दिनांक

